प्रारूप–ख
नियम 2 (1) देखिये
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़

विषयः– वृक्ष कटाई के संबंधमें निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भः– आपके न्यायालय का ज्ञापन कमांक 2074/अविअ(रा)/प्रक्र.1/2026 दिनांक 07-07-2026

संदर्भित आदेष के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 15-07-2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे–

(क) आवेदक एवं उनके नातेदार (रमेश कुमार जैन)

(ख) सरपंच/पंच

(ग) पटवारी/कोटवार - H.I.N.16 Dargaon.

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी–1 खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है–

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाती और संख्या आडेन 2, हींद 2

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाती और संख्या –

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक — को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्षित होता है कि–

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाती और संख्या —

(ख) परिक्वक वृक्षों की प्रजाती और संख्या आडेन 2, हींद 2

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या आडेन 2, हींद 2

(घ) वृक्ष कटाई के नियम 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड यदि कोई हो –

(ड.) अन्य विवरण आवेदक बेयर हाउज व गोदाम हेतु वृक्षों की कटाई करना चाहते हैं।

राजस्व अधिकारी का नाम
पदनाम राजस्व निरीक्षक
हस्ताक्षर राजस्व नि. नारायणपुर ब्लॉक
नारायणपुर

वन अधिकारी का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर

वृक्षों की सूची

क्र॰	वृक्ष की प्रजाति	तना गोलाई (Cm)	हालत
①	आईन	190	जीवित
②	आईन	230	〃
③	डीं		〃
④	डीं		〃

कुल 4 वृक्ष 2 आईन, 2 डिं सभी जीवित

रा॰ नि॰ प॰ नारायणपुर
अ॰ वेक्षक